तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	नटवर लाल बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 189/2020**
13.11.20	अपीलार्थी नटवर लाल पता नागोरीगेट के बाहर, मेघवाल बस्ती गली नं.–3, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.09.2020 में उसके द्वारा (1) जिला सतर्कता समिति के प्रकरण संख्या 1773/19/2020 के संबंध में दिनांक 6–6–20 को जारी पत्र पर जिला जिला कलेक्टर द्वितीय दिनांक 08.06.20/जांच/1773/19/2020/747 में चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 17 की जांच रिपोर्ट नगर निगम द्वारा प्रेषित की गई, की प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 951 दिनांक 21.10.2020 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, सतर्कता शाखा, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी श्री नटवरलाल द्वारा चाही गई सूचना कुल 136 पृष्ठों में तैयार की जानी थी तथा वांछित सूचना तैयार कर उपलब्ध कराने से पूर्व नियमानुसार राशि रूपये 272/– जमा कराने हेतु कार्यालय पत्रांक 815 दिनांक 25.09.2020 द्वारा लिखा गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा अभी तक राशि जमा नहीं कराई गई है। अपीलार्थी स्वयं दिनांक 04.11.2020 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करते हुए जाहिर किया कि विभागीय कर्मचारी द्वारा अपील में गलत व मिथ्या जानकारी व दलील की जा रही है कि मुझे चाही गई सूचना के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया और मेरे द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई इस कारण सूचना नहीं दी। प्रार्थना पत्र में आगे कहा कि मुझे सूचना अधिकार के तहत किस तिथि को सूचना प्रेषित होने व राशि जमा करवाने का कहा गया जिसकी पावती–तामील बतलाई जावे। मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम/नियम के तहत निर्धारित सूचना शुल्क जमा हेतु समय पर पत्रांक 815 दिनांक 25.09.2020 जारी किया जा चुका है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया गया। जहां तक अपीलार्थी/प्रार्थी को उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो अपीलार्थी सूचना प्राप्त करना चाहता है, वो अब भी उक्त शुल्क राशि लगातार....

Signature Not Verified
Digitally signed by An
Date: 2020.12.08 14:
Reason: SelfAttested

	जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिक[illegible] निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित [illegible] उन्हें तुरन्त सूचना उपलब्ध करवाई जाय। उपरोक्तानुसार अपील निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verifi
Digitally signed by Anoop
Date: 2020.12.08 14:36:3
Reason: SelfAttested